

performance of the duties; or

(C) Physical and Medical Standards as per the scheme prescribed by the Central Government for the post of Constable (Driver) in the Central Armed Police Forces from time to time.

(D) The candidate shall have qualify written test, physical efficiency test and medical examination.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years. <b>Note :</b> Candidates on direct appointment shall successfully qualify mandatory induction training or basic training course or courses as prescribed by the Central Government from time to time before successful completion of the probation period within probation period from his date of appointment, failing which his services are liable to be terminated.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal -Chairperson; 2. Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal -Member; 3. Sub-Inspector (Mechanic or Motor Transport), Sashastra Seema Bal -Member.	Not applicable.

[F. No. 3/1/SSB/CSC/BN/Gp 'C'/2021/SFS]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 2024

**सा.का.नि. 57.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम -गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट भर्ती नियम, 2024 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर पद संख्या** - उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा-, अर्हताएं आदि भर्ती की पद्धति** -, आयुसीमा-, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता - वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी-, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट।	1* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19,900-63,200/- रुपये)।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी यान हीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक छूट)। <b>टिप्पण 1.-</b> आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	<b>आवश्यक -</b> (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट (भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में 12वीं कक्षा या इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो और टेलीविजन या इंस्ट्रुमेंटेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक इंटरमीडिएट) ।	लागू नहीं होता ।	02 वर्ष । टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रेरण प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।



<p>करने की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उप-मंडल, लद्दाख का संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप का संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप का संघ राज्य क्षेत्र में इनके लिए निर्धारित अंतिम तारीख।</p> <p><b>टिप्पण 2.-</b> रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम जमा करने के लिए कहा जाता है।</p>	<p>या</p> <p>किसी भी सरकारी, मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या रेडियो और टेलीविजन या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम रखरखाव या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैकेनिक में दो वर्ष के नियमित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ नियमित मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी या 10 वीं कक्षा;</p> <p>(ii) किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन से सिनेमा प्रोजेक्टर या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ऑडियो वीडियो उपकरण को संभालने में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iii) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए उपर्युक्त उपकरणों को संभालने के लिए एक ट्रेड कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।</p>			
---	---	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।</p>
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; और</p> <p>(ii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता और अनुभव होना।</p> <p><b>टिप्पण 1.-</b> केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय पुष्टिकरण समिति, समूह ग (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष;</li> <li>2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य;</li> <li>3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II और III सरदार</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - सदस्य।	
--	---	--

[फा. सं. 23011/30/2023-पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 10th May, 2024

**G.S.R. 57.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Projectionist in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Ministry of Home Affairs, namely:-

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Junior Projectionist Recruitment Rules, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** - No person,-  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:  
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Projectionist.	01* (2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Between 18 and 25 years</p> <p>(Relaxable for departmental candidates upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note 1.-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for these in <i>Assam</i>, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union territory of Lakshadweep.</p> <p><b>Note 2.-</b> The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Higher Secondary or Intermediate (12<sup>th</sup> Standard in Physics, Chemistry and Mathematics or Vocational intermediate in the Electronic or Radio and Television or Instrumentation or Information Technology from any recognised board).</p> <p>Or</p> <p>After regular Matriculation or Senior Secondary or 10<sup>th</sup> class with two years regular Industrial Training Institute in Electronics Mechanic or Radio and Television or Information Technology or Electronics System maintenance or Electronic Instrument Mechanic from any Government, recognised institute;</p> <p>(ii) two years of experience in handling Cinema Projectors or Liquid Crystal display or Public Address System and Audio Video equipment from any recognised organisation.</p> <p>(iii) a trade skill test for handling the above-</p>	Not applicable.	Two Years. Note. - Direct recruits would be required to complete a mandatory induction training of at least two weeks duration as prescribed by Central Government for completion of probation.	By direct recruitment failing which by deputation.



	mentioned devices shall be conducted to assess suitability of the candidate.			
--	--	--	--	--

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation:</p> <p>Officer of the Central Government or the State Government or Union territory Administration:</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and</p> <p>(ii) Possessing the educational qualification and experience as specified for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1.-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'C', Departmental Confirmation Committee- (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(i) Deputy Director - Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman;</p> <p>(ii) Assistant Director - Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - member;</p> <p>(iii) Administrative Officer Grade - II or III - Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. 23011/30/2023-PT]

D. K GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मई, 2024

**सा.का.नि. 58.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय में उप निदेशक (आपदा प्रबंधन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, उप निदेशक (आपदा प्रबंधन), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।